संख्या 23 /2015/ 1381/ सत्रह - म- 2015- 11-1- (5)/2002

प्रेषक

चन्द्रकान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 1 अक्टूबर 2015

विषय वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तगर्त नदियों में मत्स्य अंगुलिका संचय (रिवर रैचिंग) योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 367 /नि0शा0/ 2015-16 दिनांक 31-08-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय- व्ययक में रू0 2.00 लाख का प्राविधान किया गया है । केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत नदियों में मत्स्य अगंलिका संचय (रिवर रैचिंग) योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से 75.25 के अनुपात में संचालित की जाती है । भारत सरकार कृषि मंत्रालय पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र संख्या- 31013/10/2004 - एफ0वाई0 (3) दिनांक 17-08-2015 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि रू0 1.50 लाख (रू0 एक लाख पचास हजार) की धनराशि अवमुक्त की गयी है। प्राविधानित धनराशि रू0 2.00 लाख में 75 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि रू0 1.50 लाख तथा 25 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0 0.50 लाख (रू0 पचास हजार) कुल धनराशि रू0 2.00 लाख(रू0 दो लाख) मात्र की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है:-

उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से प्रदेश की सीमा में बहने वाली प्रमुख नदियों में निम्न विवरणानुसार चिन्हित स्थानो पर मत्स्य सम्पदा (भारतीय मेजर कार्प)के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मत्स्य बीज संचय किया जायेगा ।

क्रमांक	जनपद का नाम	नदी का नाम	धनराशि (रूपयों में)	मत्स्य बीज संचय की मात्रा (लाख में)
1	वाराणसी	गंगा	40500	3.00
2	इलाहाबाद	यमुना	40500	3.00
3	सुल्तानपुर	गोमती	40500	3.00
4	फैजाबाद	सरयू	40500	3.00
5	सिद्वार्थनगर	राप्ती	38000	2.80
	योग		200000	14.80

1. योजना का कार्यान्वयन मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से किया जायेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि मत्स्य अंगुलिका का क्रय उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम की निकटतम हैचरियों से माह सितम्बर 2015 हेतु निर्धारित दर रू0 115/- प्रति हजार मत्स्य बीज तथा रू0 20/- प्रति हजार यातायात व्यय के अनुसार क्रय करके उपयुक्त स्थल का चुनाव कर सुनिश्चित करेगें ।
2. यदि उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम की हैचरियों पर मत्स्य अंगुलिकाएं उपलब्ध न हो तो उस स्थिति में उक्त दर की सीमान्तर्गत मत्स्य अगुंलिकाओं का क्रय वित्तीय नियमों का पालन करते हुए निजी क्षेत्र की हैचरियों से संचय सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

3. नदियों में प्रदूषण के दृष्टिगत मत्स्य अंगुलिका संचय हेतु नदी के ऐसे भाग का चयन किया जायेगा जहॉ पानी स्वच्छ हो एवं मत्स्य आखेट की गतिविधियॉ न्यूनतम हो ताकि मत्स्य अंगुलिकाओं की जीविता दर आच्छा हो सके।

4. स्थल एवं चयन अंगुलिका संचय की कार्यवाही जनपद स्तर पर निम्नवत गठित समिति द्वारा किया जायेगा ।

1 सम्बंधित मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य ।

2 जनपदीय मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि (मत्स्य विभाग से भिन्न)

3 जनपदीय सहायक निदेशक मत्स्य /मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण ।

5 अगंलिका संचय हेतु गठित समिति का यह दायित्व होगा कि वे नदियों में अंगुलिका संचय अपनी उपस्थिति एवं देख-रेख में निष्पादित करायें, जिससे भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना का उददेश्य की पुर्ति हो सके ।

6 योजनान्तर्गत स्वीकृति धनराशि का नियमानुसार भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं नियमों तथा शर्तों के अधीन किया जायेगा, किसी भी वित्तीय अनिमियतता के लिए निदेशक मत्स्य उत्तरदायी होगें।

7 उक्त योजनान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार तथा उ0प्र0 शासन एंव महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा । योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से समय-समय पर शासन को अवगत कराया जायेगा।

8. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक -2405 मछली- पालन आयोजनागत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन 01-केन्द्र प्राययोजित योजनाएं 0101- नदियों में मत्स्य अंगुलिका संचय (रिवर रैचिंग (के.75/रा./25- के0+रा0) 27- सब्सिडी के नामें डाला जायेगा ।

9. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2015 /बी0-1-925/दस -2015 - 231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या 23 /2015(1)/सत्रह-म-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय।
5- सम्बंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लाल धीरेन्द्र राव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com